EAST COAST RAILWAY

प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/
Office of the Principal Chief Personnel Officer
रेल सदन, द्वितीय तल, भुवनेश्वर - 751017
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751017

सथापना क्रमांक/ Estt. Srl. No.89/2019
पूतरे/कार्मिक/आर/ECoR/Pers/R/Recruitment **Date: 16.04.2019**

सेवा मे,
सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकरी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरू, संबलपुर,
मु;कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

Sub: Notified Recruitment Rules of Indian Railways Assistant Finacial Adviser/Assistant Divisional Finance Manager (Group 'B' Gazetted), 2019.

******

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं. 2006/E(G)RR/3/2 दिनांक 01.04.2019 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Board's Lr. No- 2006/E(G)RR/3/2 dated 01.04.2019 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above,

(G.Sethy)
Dy.Chief Personnel Officer(IR&W)
For Principal Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र, अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
4) वकाधि(स्टाफ), वकाधि(मुख्या. एवं न्याया.)
5) मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि.(मुख्या.),सहा.कार्मिक अधि.(कल्याण), सहा.कार्मिक अधि.(विल),

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2006/E(G)RR/3/2 New Delhi, Dated 01.04.2019

The General Manager (P),
All Indian Railways and
Production Units,

Director General,
RDSO, Lucknow,

Kind Attention: Principal Financial Adviser (PFA)

Subject : Notified Recruitment Rules of Indian Railways Assistant Financial Adviser /Assistant Divisional Finance Manager (Group 'B' Gazetted), 2019.

The Recruitment Rules for the post of Assistant Financial Adviser /Assistant Divisional Finance Manager (Group 'B' Gazetted) have been revised and notified in the Official Gazette vide GSR No. 206(E) dated 09.03.2019. Copy of the above notification is enclosed for information. Copy of this notification can also be downloaded from the official website of Indian Railways i.e. **http://www.indianrailways.gov.in/ railwayboard/ → "For IR Personnel"→ "Recruitment Rules" or Under Management Services Directorate of Railway Board → "Recruitment Rules"**.

(R.K. Sinha)
Joint Director/Estt.(Gaz.)
Railway Board
Ph:23047247

Encl: As above

Copy to :-

1. DF(CCA), E(GP), E(NG)II & F(E)I Branches of Railway Board.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 9, 2019/फाल्गुन 18, 1940
No. 181] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 9, 2019/PHALGUNA 18, 1940

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च , 2019

सा.का.नि. 206(अ).— राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेलवे लेखा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी) भर्ती नियम,1979 का अधिक्रमण करते हुए इस प्रकार के अधिक्रमण से पहले की उन बातों के सिवाय जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है, को छोड़कर भारतीय रेल के लेखा विभाग में सहायक वित्त सलाहकार अथवा सहायक मंडल वित्त प्रबंधक के पदों की भर्ती की पद्धति को विनयमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल लेखा विभाग (सहायक वित्त सलाहकार या सहायक मंडल वित्त प्रबंधक) समूह 'ख' राजपत्रित, भर्ती नियम, 2019 है।
   (ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .- कोई भी व्यक्ति ,-
   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हो, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सहायक वित्त सलाहकार (मुख्यालय में) अथवा सहायक मंडल वित्त प्रबंधक (मंडल में)	323*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	रेल सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-9 (रु.53100-167800)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा: (i) 70%चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा और (ii) 30% सीमित विभागीय	**प्रोन्नतिः** (i) 70% रिक्तियां लेखा विभाग के समूह 'ग' कर्मचारी जो वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) तथा	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल है:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

	प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा	उसके ऊपर के स्तर में सेवारत हैं तथा जिन्होंने लेखा विभाग में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) तथा उससे ऊपर के स्तर में की हो (जिसमें तद्नुरुपी पूर्व-संशोधित ग्रेड में दी गई नियमित सेवा शामिल है) एवं जिन्होंने भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I के परिशिष्ट-3 में विनिर्दिष्ट परीक्षा पास की हो, द्वारा चयन के माध्यम से प्रोन्नति (जिसमें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा एवं सेवा के अभिलेख का मूल्यांकन शामिल होगा) द्वारा भरी जाएंगी **टिप्पण**: जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उन्नतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो (ii) 30% रिक्तियां लेखा विभाग के समूह 'ग' कर्मचारी जो वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) तथा उसके ऊपर के स्तर में सेवारत हैं तथा जिन्होंने लेखा विभाग में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) तथा उसके ऊपर में की हो (जिसमें तदनुरुपी पूर्व-संशोधित ग्रेड	1. प्रधान वित्त सलाहकार – अध्यक्ष; 2. संबंधित क्षेत्रीय रेल अथवा उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अथवा मुख्य कार्मिक अधिकारी - सदस्य; और 3. संबंधित क्षेत्रीय रेल अथवा उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामित किए गए किसी भी विभाग (उपरोक्त क्रम सं. 1 और 2 में दिए गए अधिकारी के विभाग से भिन्न) के उन्नतर प्रशासनिक श्रेणी अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर अधिकारी – सदस्य	

		में दी गई नियमित सेवा शामिल है) एवं जिन्होंने भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I के परिशिष्ट-3 में विनिर्दिष्ट परीक्षा पास की हो, द्वारा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जिसमें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा एवं सेवा के अभिलेख का मूल्यांकन शामिल होगा) के माध्यम से भरी जाएंगी.		

[फा. सं. 2006/ई(जी)आरआर/3/2]

डा. आनंद सिंह खाटी, प्रधान कार्यपालक निदेशक स्था.(राजपत्रित संवर्ग)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2019

G.S.R. 206(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Indian Railways Accounts Department (Assistant Accounts Officer) Recruitment Rules, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Financial Adviser or Assistant Divisional Finance Manager in the Accounts Department of the Indian Railways, namely: –

1. Short title and commencement. –(1) These rules may be called the Indian Railways Accounts Department (Assistant Financial Adviser or Assistant Divisional Finance Manager) Group 'B', Gazetted Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Assistant Financial Adviser (at Headquarters) or Assistant Divisional Finance Manager (in Divisions).	323* (2019) * Subject to variation dependent on workload.	Railway Service, Group 'B' Gazetted, Non–Ministerial.	Level-9 (Rs. 53100-167800).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	By promotion: (i) 70% by promotion through selection and (ii) 30% by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.	(i) 70% of the vacancies shall be filled by promotion through selection (which shall include a written test, viva voce and assessment of record of service) of Group 'C' employees of Accounts Department working in level-6 (Rs. 35400-112400) and above in the pay matrix with three years of regular service in level-6 (Rs. 35400-112400) and above in Accounts Department (including regular service rendered in the corresponding pre-revised grades) and who have qualified the examination as specified in Appendix-3 of the Indian Railway Establishment Manual Volume I. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service and are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Principal Financial Adviser- Chairman; 2. Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member; and 3. Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than the Departments represented by officer at serial number 1and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

		or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (ii) 30% of the vacancies shall be filled through a Limited Departmental Competitive Examination (which shall include a written test, viva voce and assessment of record of service) from amongst Group 'C' employees of Accounts Department working in level-6 (Rs. 35400-112400) and above in the pay matrix with five years of regular service in level-6 (Rs. 35400-112400) ansd above in the pay matrix in Accounts Department (including regular service rendered in the corresponding pre-revised grades) and who have qualified the examination as specified in Appendix-3 of the Indian Railway Establishment Manual Volume I.		

[F. No. 2006/E(G)RR/3/2]

Dr. ANAND SINGH KHATI, Principal Executive Director, Establishment (Gazetted Cadre)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.03.13 11:55:10 +05'30'